सुनवाई रूंगटा कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला

बकाया टैक्स वसूलने तीसरी बस जब्त करना गलत : कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भिलाई स्थित रूंगटा कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, परिवहन विभाग द्वारा जारी रोड टैक्स की मांग और एक अन्य बस की जब्ती के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8(4) के तहत टैक्स निर्धारण से पहले वाहन मालिक को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज किया गया।

हाई कोर्ट ने यह दिया आदेश

धारा 8(4) में स्पष्ट है कि टैक्स निर्धारण से पहले वाहन मालिक को नोटिस और सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। विभाग ने यह प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे टैक्स स्लिप जारी कर दी, जो नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक वाहन का टैक्स बकाया चुकाने के लिए दूसरे वाहन को जब्त करना भी कानूनन स्वीकार्य नहीं। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने दोनों टैक्स स्लिप (2,59,720 रुपये) और तीसरी बस की जब्ती का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही विभाग को यह स्वतंत्रता दी कि वह अधिनियम की धारा 8 के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाकर नया मामला चला सकता है, अगर टैक्स चोरी या कम आकलन हुआ हो।

यह था मामला

कालेज की दो बसें (सीजी 08 जेडजी 4023 और सीजी 07 जेडसी 0197) 2015-16 में चालू नहीं थीं और उनकी स्थिति खराब थी। इस बारे में कालेज प्रबंधन ने परिवहन विभाग को सूचना दी थी। इसके बावजूद 2017 में विभाग ने बिना नोटिस और सुनवाई के कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप के जरिए 2,59,720 रुपये का टैक्स बकाया बता दिया। बकाया वसूली के लिए विभाग ने कालेज की तीसरी बस (सीजी 07 ई 0621) को 23 जुलाई 2021 को जब्त कर लिया।

कालेज ने यह दी दलील

कालेज ने कोर्ट के सामने दलील दी कि, बंद पड़ी बसों पर टैक्स लगाना गलत है। बिना सुनवाई और कारण बताए टैक्स निर्धारण किया गया। तीसरे वाहन को जब्त करना कानूनन गलत है। इस कार्रवाई से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। सरकारी वकील ने कहा कि कालेज के पास वैकल्पिक उपाय मौजूद था, अधिनियम की धारा 20 के तहत अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान है, इसलिए सीधे हाई कोर्ट आना उचित नहीं।